भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1911

दिनांक 09 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

.....

दक्षिण गुजरात के काकरापार बांध की जल भंडारण क्षमता और सुरक्षा सुदृढ़ीकरण

1911. श्री गोविंदभाई लालजी भाई धोलकियाः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्तमान में केंद्र सरकार गुजरात राज्य सरकार के साथ समन्वय में दक्षिण गुजरात में स्थित काकरापार बांध की जल भंडारण क्षमता बढ़ाने हेतु किसी योजना/उपाय पर कार्य कर रही है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या काकरापार बांध की संरचनात्मक, हाइड्रोलॉजिकल एवं भूकंपीय सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के साथ मिलकर कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या केंद्र सरकार राज्य सरकार के परामर्श से विशेषज्ञों की संयुक्त टीम द्वारा काकरापार बांध का निरीक्षण कराने का विचार रखती है, और यदि हाँ, तो उसकी समय-सीमा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (ग): 'जल' राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और कुशल प्रबंधन के लिए मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कदम उठाए जाते हैं। राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरित करने के लिए, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) आदि जैसी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

केंद्र सरकार वर्तमान में काकरापार बांध की क्षमता बढ़ाने के लिए गुजरात सरकार के साथ किसी भी प्रकार की पहल में शामिल नहीं है। तथापि, प्रतिप्रवाह क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार के जल संसाधन विभाग, गुजरात सरकार द्वारा रेत, गाद और संबंधित पदार्थों को हटाने जैसे गाद शोधन कार्य किए जाते हैं। काकरापार बांध की निरंतर सुरक्षा और संरचनात्मक क्षमता सुनिश्चित करने के लिए गुजरात सरकार बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के प्रावधानों का पालन करती है। इस अधिनियम के अंतर्गत, बांध निरीक्षण, संचालन, रखरखाव और सुरक्षा लेखापरीक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी बांध मालिकों की है। बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुपालन में, बांध में किसी भी प्रकार की अनियमितता या कमी की पहचान करने के लिए मानसून पूर्व और मानसून पश्चात नियमित रूप से काकरापार बांध का निरीक्षण किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के अंतर्गत, निर्दिष्ट बांधों के बांध मालिकों को विशेषज्ञों के एक स्वतंत्र पैनल के माध्यम से व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन (सीडीएसई) कराना अधिदेशित है। सीडीएसई में बांधों की संरचनात्मक, जलवैज्ञानिक, भूकंपीय और प्रचालनात्मक सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण आकलन शामिल हैं। ये मूल्यांकन अधिनियम के कार्यान्वयन की रूपरेखा का अभिन्न अंग हैं।

*****